निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज. अध्यासित

प्रकरण नं. 5/20 प्रा.पत्र
दायरा दिनांक :- 22.7.20
निर्णय दिनांक :- 12.10.21

उनवान

मोहन पुत्र रतना जाति गुर्जर निवासी रारोली तह. बारां

बनाम

1. मोहन पुत्र रतना जाति गुर्जर निवासी रारोली
2. नंदू पुत्र मदन जाति गुर्जर निवासी रारोली
3. किशनकन्या पुत्री मदन पत्नी प्रहलाद उर्फ कालू जाति गुर्जर नि. रारोली
4. सावित्री पुत्री मदन पत्नी धनराज जाति गुर्जर नि. रारोली हाल बारां
5. मुकलेश पुत्री मदन पत्नी मनीष जाति गुर्जर निवासी रारोली हाल बारां [illegible]
6. कैलाश बाई बेवा मदन गुर्जर नि. रारोली
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रा.पत्र धारा 151, 152 CPC

निर्णय दिनांक :- 12.10.21

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC का इस आशय का पेश किया गया कि इन्द्र उनवानी प्रकरण में दिनांक 19.7.13 को लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.7.13 को पारित की गई थी जिसके मुताबिक वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम रारोली तहसील बारां ख.नं. 502 रकबा 0.08 है. ख.नं. 579 रकबा 0.26 है. ख.नं. 891/199 रकबा 1.74 है कुल किता 3 रकबा 2.08 है. एवं ग्राम रारोली के ख.नं. 746 रकबा 3.75 है कुल 5.83 है. में वादी मोहन पुत्र रतना जाति गुर्जर का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्र. 1 मोहन का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी [illegible] के हिस्से 1/3 अंकन कर बटवारा कर पृथक-पृथक खाते [illegible] लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते हैं [illegible] को आदेशित [illegible] जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का उनके कब्जे काश्त अनुसार बटवारा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

लगातार -2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बटवारा प्रस्ताव प्रेषित करा उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.7.2013 लोक अदालत
की पालना मे दिनांक 11.6.15 को राजस्व सिविल लोक अदालत पटवार मण्डल
उप पंजीयन सम्बलपुर ने लिंक पक्षकारान को उक्त पटवार मण्डल आधार पर अन्तिम
सम्बलपुर द्वारा तैयार बटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री दिनांक 11.6.15
डिक्री दिनांक 11.6.15 पारित की गयी है अन्तिम डिक्री दिनांक 11.6.15
के मुताबिक वादी मोहन पुत्र रतन को ख.नं. 746 का पूर्वी हिस्सा
1.25 हे. व प्रार्थी वादी क्रम 1 को ख.नं. 746 का मध्य का 1.25 हे. व
प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 को ख.नं. 746 का पश्चिमी हिस्सा 1.25 हे. दिया
गया है जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार गलत अंकित किया गया
है जबकि मौके पर ख.नं. 746 रकबा 3.75 हे. मे वाद के पक्षकार
वादी मोहन दक्षिणी ओर के हिस्से 1.25 हे. प्रार्थी वादी क्रम 1 मध्य
के हिस्से 1.25 हे. व प्रार्थी वादी क्रम 2 ता 6 उत्तरी हिस्से 1.25 हे.
पर काबिज काश्त है तथा वाद के पक्षकारान द्वारा दिनांक 29.6/20
को उक्त ख.नं. 746 वाके ग्राम रारोली की पैमाइश पटवारी हल्का
रारोली द्वारा किये अनुसार कब्जे पर प्रयाण बाद जानकारी मे
आया कि पटवार मण्डल सम्बलपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये बटवारा
प्रस्ताव दिनांक 11.6.2015 मे ख.नं. 746 का बटवारा पक्षकारो के मध्य
त्रुटि पूर्ण रूप से मौके पर जाये बिना गलत नोट पर कर दिया गया
है। जिसकी वादी एवं प्रार्थी वादी गण अन्तिम डिक्री दिनांक 11.6.15
मे संशोधित करवा पाने के अधिकारी एवं मालिकी है

पटवार हल्का सम्बलपुर द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव
दिनांक 11.6.15 विवादित आराजी की मौका स्थिति देखे बिना राजस्व
सिविल लोक अदालत उप सम्बलपुर मे प्रस्तुत किया गया है एवं
ख.नं. 746 रकबा 3.75 हे. वाके ग्राम रारोली का बटवारा पक्षकारान
के कब्जे काश्त के आधार पर न करते हुए कागजी नोट पर नक्शे
मे उत्तर से दक्षिण मेड वाले बटवारे को छोड़ के पश्चिम की ओर
लाइन खींचते हुए बटवारा कर [illegible] जिसके कारण मौके पर
पक्षकारान के मध्य विवाद की [illegible] हो गयी है एवं
उक्त त्रुटि का संशोधन होना न्यायहित [illegible] आवश्यक है एवं उक्त
संशोधन मे वाद के पक्षकारान भी सहमत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र
स्वीकार करने का निवेदन किया है ——x——x——

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

लगातार - 3

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली रिकार्ड से तलब की गयी तहत अभिभाषक प्रार्थी पेश की गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। ~~प्रस्तुत~~ तहसीलदार बारां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन प्रस्ताव पर कारी रामदेव, मोहन, कैलाशचन्द, मदनलाल, आदि के हस्ताक्षर किये हुए है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे बताया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रार्थी गण को बिना सुने व बिना इत्तला के तैयार किया गया है जबकि विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर किये हुए है अतः यह साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान की मौजूदगी मे उनकी सहमति के आधार पर किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निराधार तथा तथ्यों को छुपा कर पेश किया है यदि पक्षकारान को कोई विभाजन प्रस्ताव से या अन्तिम डिक्री से असंतुष्ट थे तो पक्षकारान को सक्षम न्यायालय से अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner